(14)

प्रारुप–5

परियोजना का नाम :– अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत मुछियाली–चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ़ होते हुये देहलचौंरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 किमी0)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

Kiran
J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौड़ी गढ़वाल

3012

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत

संख्याः–5921 /।।।(2)/11–105(प्रा0आ0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2011

विषयः– **अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के अन्तर्गत मुछियाल–चराकोट मोटर मार्ग से कमर गढ़ होते हुए देहलचौरी तक मोटर मार्ग के निर्माण की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के अन्तर्गत मुछियाल–चराकोट मोटर मार्ग से कमर गढ़ होते हुए देहलचौरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणन, जिसकी लम्बाई 5.00 किमी0 तथा लागत ₹ 63.00 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 63.00 लाख (₹ त्रिसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/।।।(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल–आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा बजट मैनुअल के उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

पृ0सं0 93/14 याता– 12/2011 दिनांक 6-1-12

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क0 अभि0 (अ0)/यातायात/लेखा वर्ग/वृत्तीय कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ix)– वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(X) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–30–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–03–सड़क / भवन / पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–30–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–05 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–682 / XXVII/(2)/2011 दिनांक:24 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

संख्या:– / III(2) / 11–105(प्रा0आ0) / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी जनपद देहरादून / पौड़ी गढ़वाल / श्रीनगर।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्डशासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,

(महिमा)

अनु सचिव

पृ0 पत्रां0 1647 / 20 म0प्रा0–(क) / ... दि0 30/12/11
प्रतिलिपि निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01: मुख्य अभि0 (ग0क्षे0) लो.नि.वि. पौड़ी।
02: अधीक्षण अभि0 12वां वृत्त पौड़ी
03: ...